राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

–: परीक्षा केन्द्रों पर मोबाईल–ब्लूटूथ उपकरणों के दुरुपयोग को रोकने हेतु विशेष निर्देश :–

हाल के वर्षों में मोबाईल फोन ने जनसामान्य में एक सर्वसुलभ उपकरण के रूप में जगह बना ली है। किन्तु वर्तमान में परीक्षाओं के आयोजन में यह एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। अनेक परीक्षाओं में इनके माध्यम से नकल के प्रकरण पकड़े गए हैं और उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किये गए हैं। यद्यपि आयोग द्वारा प्रवेश पत्र तथा विभिन्न विज्ञप्तियों के माध्यम से स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया जाता है कि परीक्षा केन्द्र पर मोबाईल/ब्लूटूथ या ऐसी संचार उपरकरणों के प्रयोग वर्जित है, इसके बावजूद अनेक अभ्यर्थी मोबाईल फोन के साथ आ जाते हैं। परीक्षा केन्द्र या कक्ष में प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थियों की तलाशी भी व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाती है। अतः इनकी रोकथाम के लिए निम्न उपाय वांछनीय है–

1. पर्याप्त निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थी फोन के साथ आ सकते है, ऐसी स्थिति में केन्द्राधीक्षकों को अधिकृत किया जाता है कि वे अपने स्तर पर स्वविवेक से निर्धारित राशि लेकर उनका मोबाईल फोन जमा करने की व्यवस्था कर सकते है। इसके लिए वे लिफाफे या स्टिकर पर अभ्यर्थी का नाम, रोल नम्बर व हस्ताक्षर लेकर रखने की व्यवस्था कर सकते हैं। अभिजागरों को भी यह सूचित कर दें कि वे परीक्षा कक्ष में जाने के उपरांत सबसे पहले यह उद्घोषणा करें कि **''यदि किसी के पास मोबाईल पाया गया तो उसके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाकर पुलिस कार्यवाही की जाएगी।''** यह भी आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि अभिजागर भी या तो मोबाईल नहीं रखें अथवा उसे ''स्विच ऑफ'' अवस्था में रखें।
2. ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाईल फोन का दुरुपयोग करने वाले अभ्यर्थी प्रायः बाथरूम जाने के बहाने वार्ता करते है या कई बार परीक्षा कक्ष में भी धीमी आवाज में बात कर सकते हैं। वीक्षक इस बात में सजग रहें कि बाथरूम जाने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी हस्ताक्षर आवश्यक रूप से अभिजागर रिपोर्ट पर लिया जाए तथा परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की कानाफूसी को गम्भीरता से लेते हुए अभ्यर्थी की जाँच की जाए। ब्लूटूथ उपकरण अभ्यर्थी के कान या गले के पास लगे हो सकते हैं, **(सुलभ संदर्भार्थ इस निर्देश में ब्लूटूथ उपकरणों के कुछ मॉडल दिये हुए हैं)**अतः विशेषतः कान के पास स्कार्फ या मफलर बांध कर बैठे अभ्यर्थी या कान पर हाथ रखकर परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की भी विशेष जांच की जानी चाहिए। ब्लूटूथ उपकरण चश्मे, आभूषण, कलम या घड़ी में भी लगाए जा सकते हैं किन्तु इसकी संभावना अत्यन्त कम होती है। शक होने पर महिला अभ्यर्थी होने की स्थिति में किसी महिला वीक्षक के माध्यम से जाँच करा लें।

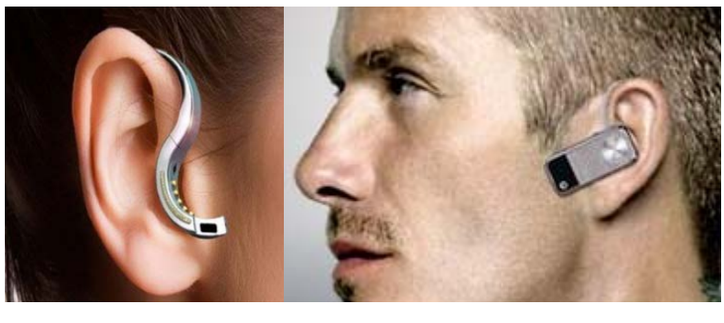

3. ब्लूटूथ के माध्यम से नकल करने वाले अभ्यर्थी को नकल कराने वाले व्यक्ति प्रायः परीक्षा केन्द्र के आस पास ही होते हैं।ब्लूटूथ की एक निर्धारित रेंज होती है, अतः एक वीक्षक या कर्मचारी के माध्यम से परीक्षा केन्द्र के परिसर में भी राउण्ड लगाकर यह जाँच करालें कि कहीं कोई अभ्यर्थी निरन्तर बातचीत तो नहीं कर रहा है या कोई व्यक्ति लेपटॉप या संचार उपकरणों के साथ तो नहीं बैठा है।
4. यह स्पष्ट है कि मोबाईल या ब्लूटूथ के माध्यम से नकल करने वाले अभ्यर्थी अपने नकल कराने वाले सहयोगी को प्रश्न से सूचित कराने का प्रयास करेंगे, ऐसे में वे कोई पुराना प्रश्न पत्र रखकर वर्तमान प्रश्न पत्र को बाहर करने की भी कोशिश कर सकते हैं, अतः यह ध्यान रखें कि अभ्यर्थी ने वस्तुतः अपने वितरित प्रश्नपत्र को ही टेबल पर रखा है, किसी अन्य प्रश्नपत्र को नहीं। आयोग द्वारा इसकी पहचान की सुविधा के लिए प्रश्न पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर बड़े अक्षरों में कोई कोड भी अंकित किया जा सकता है, जिसे आप सरलतः चलते–फिरते भी देखकर आश्वस्त हो सकते हैं कि अभ्यर्थी का प्रश्न–पत्र वस्तुतः उसका निर्धारित प्रश्न–पत्र ही है।
5. वर्तमान स्तर पर आयोग द्वारा प्रत्येक 4 कक्षों या 100 अभ्यर्थियों पर **विजिटिंग इनविजीलेटर** लगाने का भी प्रावधान किया गया है, जिनके इस संबंध में निम्न कार्य होंगें –
   (अ) कक्षों में अभ्यर्थियों के सही रोल नम्बर की जाँच, अभ्यर्थियों के फोटो या हस्ताक्षर में भिन्नता परिलक्षित होने पर उसके किसी फोटोयुक्त पहचान पत्र की जाँच
   (ब) किसी अभ्यर्थी के मोबाईल या ब्लूटूथ होने की शंका होने पर उसकी जाँच

नोट – केन्द्राधीक्षक को यह परामर्श दिया जाता है कि वे विजिटिंग इनविजिलेटर के रूप में कम–से–कम एक महिला कार्मिक को लगाएं, ताकि शक की स्थिति में महिला अभ्यर्थियों की भी जाँच की जा सके। जाँच में यह भी सुनिश्चित करें कि परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थियों को अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न न हो।

6. केन्द्राधीक्षक एवं पर्यवेक्षक के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे परीक्षा केन्द्र और कक्षों में निरन्तर भ्रमण कर इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने की कोशिश करें। परीक्षा कक्ष में किसी अभ्यर्थी के पास स्विच–ऑफ रूप में भी मोबाईल फोन का पाया जाना भी अनुचित साधनों के प्रयोग में आता है। ऐसे सभी प्रकरणों को अनुचित साधन में दर्ज कर रिपोर्ट करें और इसके समानान्तर एफ.आई.आर. दर्ज कराने की भी कार्यवाही करें। यदि किसी परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी के पास से ऐसी कोई संचार सामग्री बरामद होती है और वीक्षक द्वारा उसे नजरअंदाज किया गया है, तो उनके विरूद्ध भी कार्यवाही करें।

मोबाईल व ब्लूटूथ के माध्यम से नकल रोकने के लिए जॉच के बिन्दु		
1.	क्या परीक्षा कक्ष में कोई अभ्यर्थी प्रश्न–पत्र पर ध्यान न देकर लगातार इधर–उधर देख रहा है?	
2.	क्या परीक्षा कक्ष में कोई अभ्यर्थी धीरे–धीरे अपने आप से बातचीत कर रहा है ?	
3.	क्या परीक्षा कक्ष में कोई अभ्यर्थी अपने कानों को मफलर, टोपी या स्कार्फ से बन्द किये हुए है ?	
4.	क्या परीक्षा कक्ष से कोई अभ्यर्थी बिना अभिजागर को सूचित किये या अभिजागर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये बाहर गया है?	
5.	क्या कोई अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष से बाथरूम के लिए 5 मिनट से अधिक समय तक बाहर रहा है?	
6.	क्या कोई अभ्यर्थी परीक्षा प्रारम्भ होने के पर्याप्त समय के बाद परीक्षा कक्ष में उपस्थित हुआ है?	

उक्त बिन्दु सामने आने पर उस अभ्यर्थी को निगरानी में रखें और आवश्यकता पड़ने पर तलाशी भी लें।